



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 31 मार्च, 1975  
चेत्र 10, 1897 शक संम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1211/सत्रह-वि-1--31-1975

लखनऊ, 31 मार्च, 1975

अधिसूचना  
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 31 मार्च, 1975 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1975)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छठ्ठीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

2—आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारायें 3, 4, 5, 6 और 8 दिनांक 22 जून, 1974 से आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा निरस्त की गयी समझी जायेंगी।

संक्षिप्त नाम तथा  
विस्तार

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 9,  
1974 की धारा  
3, 4, 5, 6  
तथा 8 को निरस्त  
समझा जाना

1955 का अधि-  
नियम संख्या 10  
की धारा 2 का  
संशोधन

धारा 3 का  
संशोधन

3—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (क) के पूर्व निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

“(क) “कलेक्टर” के अन्तर्गत ऐसा अधिकारी भी है जो प्रथम वर्ग के सहायक कलेक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो और जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाए ;

4—मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (2) में, खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्:—

“(च) किसी व्यक्ति से जो किसी आवश्यक वस्तु को स्टॉक में रखता है, या उसके विनिर्माण या उत्पादन में या क्रय या विक्रय के कारबार में लगा है, यह अपेक्षा करना कि वह उसके द्वारा स्टॉक में रखे गये या विनिर्मित या उत्पादित अथवा उसके द्वारा विनिर्मित या उत्पादित किए जाने के लिए सम्भाव्य या उक्त क्रय या विक्रय के कारबार में उसके द्वारा प्राप्त किये गये या प्राप्त किये जाने के लिये सम्भाव्य सम्पूर्ण स्टॉक या उसके विनिर्दिष्ट भाग का केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या अभिकर्ता को अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को और ऐसी परिस्थितियों में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, विक्रय करे;

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रति निर्देश से किए गए खाद्यान्न सम्बन्धी किसी आदेश में—

(1) उक्त कीमत को जो केन्द्रीय सरकार द्वारा एग्जीक्यूटिव प्राइसेज कमीशन की सिफारिशों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् इस निमित्त नियत की गई हो ऐसी रकम विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा जो आदेश के अधीन विक्रय के लिए अपेक्षित खाद्यान्न के लिए संदत्त की जायगी;

(2) उस विशिष्ट खाद्यान्न के जिसके सम्बन्ध में आदेश हो, उत्पादन के लिए खेती के अधीन क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रत्येक उत्पादन द्वारा विक्रय किए जाने के लिए परिमाण नियत किया जा सकेगा;”;

(ख) उपधारा (3) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायें, और सदैव से रखे गये समझे जायें, अर्थात्:—

“(ग) खाद्यान्नों की दशा में, जहां न तो खण्ड (क) और न खण्ड (ख) ही लागू होता है, वहां उपधारा (2) के खण्ड (च) के प्रति निर्देश से किए गए उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट कीमत, यदि कोई हो;

(घ) जहां न तो खण्ड (क) और न खण्ड (ख) या खण्ड (ग) ही लागू होता है वहां उस परिक्षेत्र में विक्रय की तारीख को अभिभावी बाजार दर पर परिकल्पित कीमत।”;

(ग) उपधारा (3-ख) में, खण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्:—

“(1-क) खाद्यान्नों की दशा में, जहां उपधारा (2) के खण्ड (ग) के प्रति निर्देश से किए गए आदेश द्वारा कोई नियंत्रित कीमत नियत न हो वहां उपधारा (2) के खण्ड (च) के प्रति निर्देश से किये गये उक्त आदेश में ऐसी श्रेणी या किस्म के खाद्यान्नों के लिये विनिर्दिष्ट रकम;”।

धारा 6-क के  
स्थान पर नई  
धारा का रखा  
जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 6-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

“6-क (1) जहां कोई आवश्यक वस्तु उसके सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में अभिगृहीत की जाती है वहां, अयुक्तियुक्त विलम्ब के बिना, इस आशय की एक रिपोर्ट उस जिले के, जिसमें अभिग्रहण किया जाय, कलेक्टर को भेजी जायेगी, और कलेक्टर, यदि वह ऐसा करना समीचीन समझे, ऐसी आवश्यक वस्तु का निरीक्षण कर सकेगा अथवा निरीक्षण करा सकेगा, और चाहे ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिये अभियोजन संस्थित किया जाय या नहीं, यदि कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि आदेश का उल्लंघन हुआ है तो वह—

(क) इस प्रकार अभिगृहीत आवश्यक वस्तु के ;

(ख) किन्हीं ऐसे पकेजों, आवेष्टकों या पात्रों के, जिनमें ऐसी आवश्यक वस्तु पाई जाय; और

(ग) ऐसी आवश्यक वस्तु को ले जाने में प्रयुक्त किसी पशु, गाड़ी, जलवाहन या अन्य प्रवहन के,

अधिहरण का आदेश दे सकेगा :

परन्तु इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई खाद्यान्न या खाद्य-तिलहन से जो उसके सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन किये गये आदेश के अनुसरण में किसी उत्पादक से अभिग्रहीत किये गये हों, यदि अभिग्रहीत खाद्यान्न या खाद्य तिलहन उसके द्वारा उत्पादित किए गये हों, इस धारा के अधीन अधिहृत नहीं किये जायेंगे :

परन्तु यह और कि जहां किसी पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य प्रवहन का प्रयोग माल या यात्रियों को भाड़े पर ले जाने के लिये किया जाता है, वहां, ऐसे पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य प्रवहन के स्वामी को अधिहरण के बदले में ऐसा जुर्माना देने का विकल्प दिया जायगा तो ऐसी आवश्यक वस्तु की जिसे ले जाया गया हो, अधिहरण के दिनांक पर बाजार कीमत से अधिक न हो।

(2) जहां कलेक्टर की उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर या किसी आवश्यक वस्तु का निरीक्षण करने पर यह राय हो कि ऐसी आवश्यक वस्तु शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है अथवा लोक-हित में ऐसा करना अन्यथा समीचीन है तो वह उसे तत्समय प्रवक्त किसी विधि के अधीन नियत की गई नियंत्रित कीमत पर, यदि कोई हो, या यदि कोई ऐसी कीमत नियत न की गई हो तो नीलाम द्वारा बेचने का आदेश दे सकेगा :

परन्तु खाद्यान्नों की दशा में, जहां कोई नियंत्रित कीमत न हो, कलेक्टर अभिग्रहीत खाद्यान्नों की उचित मूल्य की दुकानों द्वारा उस कीमत पर विक्री करने का निदेश दे सकेगा जो उन दुकानों से जनता को ऐसे खाद्यान्नों की विक्री करने के लिये, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियत की गई हो।

परन्तु यह भी कि जब कभी आवश्यक वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना साध्य हो तो वह उसको विक्री या नीलाम के पूर्व उसका नमूना लेगा और परिरक्षित करेगा।

(3) जहां किसी आवश्यक वस्तु की उपर्युक्त प्रकार से विक्री की जाती है वहां, यथास्थिति, विक्री या नीलाम के ध्येय को काटने के पश्चात् उसका विक्रय, आगम,—

(क) जहां कलेक्टर द्वारा अन्ततोगत्वा अधिहरण का आदेश न किया जाय ; या

(ख) जहां धारा 6-ग की उपधारा (1) के अधीन अपील पर किए गए आदेश से ऐसा अपेक्षित हो; या

(ग) उस आदेश के जिसके सम्बन्ध में इस धारा के अधीन अधिहरण आदेश किया गया हो; उल्लंघन के लिये संस्थित किए जाने वाले अभियोजन की दशा में, जहां सम्बद्ध व्यक्ति दोषमुक्त कर दिया जाय;

उसके स्वामी या उस ध्येय को जिससे वह अभिग्रहीत किया जाय, संदत्त किया जायगा :

परन्तु यह कि उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों द्वारा विक्रीत किये गये खाद्यान्नों की दशा में स्वामी को, उन खाद्यान्नों के लिए जो इस प्रकार विक्रीत किये गये हों, वही कीमत संदत्त की जायेगी जो, ऐसी दुकानों के माध्यम से ऐसे खाद्यान्नों की फूटकर विक्री के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत की जाय जिसमें से उपधारा (2) के अधीन विक्री या नीलाम का व्यय काट लिया जायगा।”

6—मूल अधिनियम की धारा 6-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

नयी धारा 6-ख  
का बढ़ाया जाना

पुनर्विलोकन “6-ख (1) जहां कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि धारा 6-क के अधीन दिये गये अधिहरण के आदेश में अथवा अधिहरण न करने के आदेश में कोई भूल है (जिसके अन्तर्गत विधि सम्बन्धी भूल भी है), अभिलेख को देखने से ही प्रकट है वहां वह ऐसे आदेश के एक मास के भीतर, यथास्थिति, आवश्यक वस्तु, फेंकें, आवेटक, पात्र, पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य प्रवहन के स्वामी को या उस ध्येय को जिससे वह अभिग्रहीत किया गया हो यह हेतुक दर्शित करने के लिये सूचना जारी कर सकेगा कि उक्त आदेश ध्यों न पुनर्विलोकित किया जाय, और उसे सुनवाई का युक्ति-युक्त उद्धार देने के पश्चात् पुनर्विलोकन पर ऐसा आदेश दे सकेगा जिसे वह उचित समझे।

(2) ऐसे पुनर्विलोकन पर दिये गये आदेश के सम्बन्ध में धारा 6-ग और 6-घ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 6-क के अधीन मूल रूप से दिये गये आदेश के सम्बन्ध में

धारा 6-ग का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 6-ग में, उपधारा (2) में, शब्द "वहाँ ऐसे व्यक्ति को" के स्थान पर शब्द "वहाँ ऐसे व्यक्ति को, धारा 6-क की उपधारा (3) में यथा-उपबन्धित के सिवाय" रख दिये जायें।

विधिमान्यता

8—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 3 के अधीन उसकी उपधारा (2) के खंड (ङ) के प्रति निर्देश से किए गए किसी आदेश को इस अध्यादेश की धारा 4 द्वारा यथा संशोधित उक्त धारा के अधीन किया गया समझा जायगा मानो उक्त धारा 4 के उपबन्ध सदैव प्रवृत्त थे और तदनुसार वह विधि मान्य होगा और सदैव से विधिमान्य समझा जायगा।

निरसन तथा अपवाद

9—(1) आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1975 एनद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझी जायगी मानों यह अधिनियम 25 जनवरी, 1975 को प्रवृत्त हुआ हो।

No. 1211(2)/XVII-V-1-31-75

Dated Lucknow, March 31, 1975

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Avashyak Vastu (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 1975), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on March 31, 1975 :

THE ESSENTIAL COMMODITIES (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1975

(U. P. ACT NO. 18 OF 1975)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

Further to amend the Essential Commodities Act, 1955 in its application to Uttar Pradesh

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth year of the Republic of India as follows:—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Essential Commodities (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1975.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Deemed repeal of sections 3, 4, 5, 6 and 8 of U. P. Act no. 9 of 1974.

2. Sections 3, 4, 5, 6 and 8 of the Essential Commodities (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1974 shall be deemed to have been repealed by the Essential Commodities (Amendment) Act, 1974, with effect from June 22, 1974.

Amendment of section 2 of Act X of 1955.

3. In section 2 of the Essential Commodities Act, 1955, as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter called the principal Act, before clause (a), the following clause shall be inserted namely:—

“(aa) ‘Collector’ includes such officer not below the rank of an Assistant Collector of the first class as may be authorised by the Collector to exercise the powers conferred on him by or under the provisions of this Act.”

Amendment of section 3.

4. In section 3 of the principal Act,—

(a) in sub-section (2), for clause (f), the following clause shall be substituted and be deemed always to have been substituted namely:—

“(f) for requiring any person holding in stock, or engaged in the manufacture or production of, or in the business of buying or selling, any essential commodity to sell the whole or a specified part of the quantity held in stock or manufactured or produced or likely to be manufactured or produced by him or received or likely to be received by him in the course of said business of buying or selling,

to the Central Government or a State Government or to an officer or agent of such Government or to such other person or class of persons and in such circumstances as may be specified in the order;

*Explanation*—An order relating to foodgrains made with reference to this clause—

(I) may specify the price fixed by Central Government in this behalf after taking into account the recommendations, if any, of the Agricultural Prices Commission as the amount which shall be paid for the foodgrains required to be sold under the order;

(II) may fix the quantity to be sold by each producer with reference to the area under cultivation for production of the particular foodgrains to which the order relates;";

(b) in sub-section (3), for clause (c), the following clauses shall be substituted and be deemed always to have been substituted, namely—

"(c) in the case of foodgrains, where neither clause (a) nor clause (b) applies, the amount, if any, specified in the said order made with reference to clause (f) of sub-section (2);

(d) where neither clause (a), nor clause (b), nor clause (c) applies, the price calculated, at the market rate prevailing in the locality at the date of sale.";

(c) in sub-section (3-B), after clause (i), the following clause shall be inserted and be deemed always to have been inserted, namely—

"(i-a) in the case of foodgrains, where no controlled price is fixed by an order made with reference to clause (c) of sub-section (2), the amount specified in the said order made with reference to clause (f) of sub-section (2), for such grade or variety of foodgrains;";

5. For section 6-A of the principal Act, the following section shall be substituted namely:—

Substitution of  
new section for  
section 6-A.

"6-A. (1) Where any essential commodity is seized in pursuance of an order made under section 3 in relation thereto a report to this effect shall, without any unreasonable delay, be sent to the Collector of the district in which the seizure is made, and the Collector may, if he thinks it expedient so to do, inspect or cause to be inspected such essential commodity and whether, or not a prosecution is instituted for the contravention of such order, the Collector, if satisfied that there has been contravention of the order, may order confiscation of—

(a) the essential commodity so seized;

(b) any package, covering or receptacle in which such essential commodity is found; and

(c) any animal, vehicle, vessel or other conveyance used in carrying such essential commodity;

Provided that, without prejudice to any action that may be taken under any other provision of this Act, no foodgrains or edible oil-seeds seized in pursuance of an order made under section 3 in relation thereto from a producer shall, if the seized foodgrains or edible oil-seeds have been produced by him, be confiscated under this section:

Provided further that where any animal, vehicle, vessel or other conveyance is used for the carriage of goods or passengers for hire, the owner of such animal, vehicle, vessel or other conveyance shall be given an option to pay in lieu of its confiscation a fine not exceeding the market price at the date of seizure of the essential commodity sought to be carried.

(2) Where the Collector on receiving a report of seizure or on inspection of any essential commodity under sub-section (1) is of the opinion that such essential commodity is subject to speedy and natural decay or that it is otherwise expedient in the public interest so to do, he may order the same to be sold at the controlled price, if any, fixed under any law for the time being in force, or where no such price is fixed, by auction:

Provided that in the case of foodgrains, where there is no controlled price, the Collector may order the foodgrains seized to be sold through fair price shops at the price fixed by the Central Government or the State Government, as the case may be, for the sale of such foodgrains to the public through these shops:

Provided also that whenever it is practicable so to do having regard to the nature of the essential commodity he shall take and preserve sample of the same before its sale or auction.

(3) Where any essential commodity is sold as aforesaid, the sale proceeds, thereof, after deduction of the expenses of the sale or auction, as the case may be, shall—

(a) where no order of confiscation is ultimately passed by the Collector; or

(b) where an order passed on appeal under sub-clause (1) of section 6-C so requires; or

(c) in the case of a prosecution being instituted for the contravention of the order in respect of which an order of confiscation has been made under this section, where the person concerned is acquitted,—

be paid to the owner thereof or the person from whom it is seized:

Provided that in the case of foodgrains sold through fair price shops in accordance with the first proviso to sub-section (2) the owner shall be paid for the foodgrains so sold the price fixed by the State Government, for retail sale of such foodgrains through such shops less all expenses of sale or auction under sub-section (2)."

Insertion of new section 6-BB.

6. After section 6-B of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"6BB. (1) Where the Collector is satisfied that an order of confiscation or an order refusing confiscation made under section 6-A suffers from a mistake apparent on the face of the record (including any mistake of law) he may within one month of such order issue notice to the owner of the essential commodity, package, covering, receptacle, animal, vehicle, vessel or other conveyance, or, as the case may be, the person from whom it was seized, to show cause why that order should not be reviewed, and after giving him a reasonable opportunity of being heard, pass such order on review as he thinks fit.

(2) The provisions of sections 6-C and 6-D shall apply in relation to an order passed on such review as they apply in relation to an order passed originally under section 6-A."

Amendment of section 6-C.

7. In section 6-C of the principal Act, in sub-section (2), for the words "such person shall be paid", the words "such person shall, except as provided by sub-section (3) of section 6-A, be paid" shall be substituted.

Validation.

8. Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court, any order relating to foodgrains made under section 3 of the principal Act, with reference to clause (f) of sub-section (2) of that section before the commencement of this Act shall be deemed to have been made under the said section amended by section 4 of this Act as if the provisions of the said section 4 were always in force and shall accordingly be deemed to be and always to have been valid.

Repeal and savings.

9. (1) The Essential Commodities (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1975 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act came into force on January 25, 1975.

प्राज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।